

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)डीजीएस/अलेसे-III/723

दिनांक:- 13/02/2026

“कार्यालय आदेश”

स्वर्गीय श्री मनसुख, सैनिक (रैंक नं.-3188404A) (सिपाही) का सेवाकाल के दौरान दिनांक 31.12.1998 को निधन हो जाने के कारण उनकी आश्रिता पुत्री सुश्री सपना कुमारी जिनकी जन्म तिथि 02.10.1997 है, को राजस्थान सरकार, कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(3) कार्मिक/क-2/94 दिनांक 01.10.2002 एवं सपटित अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (1)कार्मिक/क-2/18 पार्ट दिनांक 07.12.2022 (राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम-2022) के अन्तर्गत राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन-भत्तों पर विभागीय आदेश संख्या 85/2023-24 दिनांक 10.01.2024 द्वारा नियुक्ति दी गई थी। सुश्री सपना कुमारी का राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम-34 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार पद का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा दिनांक 04.11.2025 उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वेतन नियमितिकरण/स्थाईकरण किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कनि. लेखाकार (सर्वश्री)	मेरिट/लिक नं.	जन्म तिथि	कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	वेतन नियमितिकरण तिथि	स्थायीकरण तिथि
1	2	3	6	7	8	9	10
1.	सपना कुमारी	DGS 43438	02.10.1997	24.01.2024 (म.पू.)	23.01.2026	24.01.2026	24.01.2026

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2017 के नियम-17 के अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स के लेवल-10 में वेतन तथा निमयानुसार भत्ते देय होंगे।

(संध्या शर्मा)
13/02/2026

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 13/02/2026

क्रमांक:- एफ.4(ई)डीजीएस/अलेसे-III/723
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय,
- 2 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
- 3 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 4 संयुक्त निदेशक, (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
- 6 रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)